अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 86/2012

इन्द्रानन्द सिंह एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

रामोतार शर्मा —— रेसपोन्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद श्री इन्द्रानन्द सिंह, पिता– ईश्वरी प्रसाद सिंह, विनय कुमार सिंह, पिता– ईश्वरी प्रसाद सिंह, अरविन्द सिंह, पिता –स्व0 फुलेश्वर सिंह , संजय सिंह, पिता– स्व0 गंगा सिंह एवं भागवत तॉती, पिता स्व0 सत्तन तॉती, सभी निवासी– पिपरा, थाना– विहरा, जिला– सहरसा द्वारा वाद संख्या 172/11 रामोतार शर्मा वगैरह बनाम इन्द्रानन्द सिंह वगैरह में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है।

संक्षेप में मामला यह है कि रेसपोण्डेन्ट आवेदक ने मुख्य मंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक आवेदन संदर्भ संख्याः– 0702115099 दिनांकः– 07.12.11 का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निराकरण हेतु संबंधित जन शिकायत कोषांग राजस्व, सहरसा के पत्रांकः 745/11 के आलोक में निम्न न्यायालय के यहाँ भेज दिया गया तथा उपरोक्त जन शिकायत को वाद संख्याः–172/11 में अधीगृहित कर निष्पादनार्थ संचालित किया गया है।

यह कि रेसपोण्डेन्ट प्रथम पक्ष ने विवाद का मूल विषय में मौजा पिपरा थाना नं०–167 अंचल सत्तर कटैया जिला सहरसा के अन्दर खाता पुराना–7.3.13.1.94 एवं 6 तथा खेसरा पुराना–105, 130, 131, 133, 136, 141, 142, 149, 156, 162, 233, 240, 248, 279 की भूमि को विवादी भूमि करार दिया है जिसका कुल रकवा 25 विघा 10 क० 19 धुर है।

यह कि रेसपोण्डेन्ट का यह भी वाद है कि उपरोक्त भूमि का पुराना खतियान नाम से राम टहल तॉती, ज्ञान चन्द पिताः– राधे तॉती वो सुराग देवी, पति– मिश्री दास के दर्ज है एवं उपरोक्त भूमि रेसपोण्डेन्ट विपक्षी के नाना के नाम से है एवं वहैसियत वारिसान के वे अपना दावा प्रस्तुत किये हैं।

यह कि आवेदक रेसपोण्डेन्ट ने अपीलार्थीण एवं रेसपोण्डेन्ट द्वितीय

पक्ष को विपक्षी निम्न न्यायालय में करार देकर यह आरोप लाया है कि अपीलार्थीगण विपक्षी विवादी भूमि के निश्वत दस्तनदाजी करते हैं एवं आवेदक, रेसपोण्डेन्ट को विवादी भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं एवं अपने वाद के समर्थन में पुराना खतियान, रिर्टन बिहार सरकार का मालगुजारी रसीद इत्यादि का छाया प्रति दाखिल किये।

यह कि रेसपोण्डेन्ट आवेदक ने अपने आवेदन में यह भी तत्व उजागर किया कि विवादी भूमि के निश्वत अपीलार्थीगण एवं रेसपोण्डेन्ट के बीच सब जज, न्यायालय, सहरसा में अधिकार वाद संख्याः– 206/04 एवं अधिकार वाद संख्याः–218/2004 चल रहा है।

यह कि अपीलार्थीगण ने अधिकार वाद संख्याः–218/2004 एवं 206/2004 जो श्री मान अवर न्यायाधिश, सहरसा के न्यायालय में चल रहा है का हवाला देते हुए वाद पत्रः–218/04 का छाया प्रति दाखिल किए।

यह कि अपीलार्थीगण के पूर्वज ने रेसपोण्डेन्ट के पूर्वज से विवादी भूमि वजरिए रजिस्ट्री केवाला व सन–1925 ई० से हासिल किए एवं उक्त एराजी पर हकदार वो दखलकार रहते आए।

यहकि रेसपोण्डेन्ट के पूर्वज राम टहल ताँती जिन्हें एक लड़का विद्धि ताँती उर्फ विद्या ताँती हुए एवं खतियानी रैयत ज्ञानचन्द ताँती के पुत्र सिद्धि तॉती हुए वो वाद स्वर्गीय होने राम टहल तॉती वो ज्ञान चन्द्र तॉती के उनके कुल जगह जमीन पर वहैसियत उत्तराधिकारी के हकदार वो दखलकार हुए।

यह कि विद्धि तॉती पे० राम टहल तॉती वो सिद्धि तॉती पे० ज्ञानचन्द्र तॉती ने अपनी एराजियात अन्दर मौजा पिपरा पुराना खता–7 वो 1 पुराना खेसराः– 189, 211, 131, 141, 142, 145, 147, 151, 155, 193, 144, 149, 182 एवं 184 पुराना खाता–13 की एराजी खेसराः– 130, 143, 148, 150, 153, 154, 158, 164, 172, 173, 175, 205, 242, 249, 262, 22, 274 साथ अन्य खेसरा कुल रकवाः– 11 वि० 1 क० 5 धुर वजरिये रजिष्ट्री केवाला वसन–1925 ई० वाजिब जरसम्मन लेकर डोमन सिंह पे० बाबू लाली सिंह वो मुसन झा पे० यमुना झा को बिक्री किए वो बिक्री सुदा एराजी पर दखल कब्जा दिला दिए।

यह कि उपरोक्त एराजी के निश्वत भूतपूर्व मालिक जमीनदार के सिरिस्ता में जमाबन्दी कायम हुआ एवं भूतपूर्व मालिक जमीनदार को मालगुजारी अदाय कर जमीनदारी रसीद प्राप्त करते हुए एवं वाद भेस्टिंग जमीनदार के बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी डोमन सिंह एवं मूसन झा के नाम से चलता आया।

वो हम अपीलार्थी तथा हम अपीलार्थी के पूर्वज बिहार सरकार को मालगुजारी अदाय कर रसीद रेन्टविल हॉसिल करते आ रहे हैं।

यह कि मौजा में हाल रिभिजनल सर्वे की कार्यवाही अमल में आई वो मुताबिक हकियत वो दखली के सर्वे अपीलार्थीगण के पूर्वज एव अपीलार्थीगण के नाम से दर्ज हुआ वो मौजा का सर्वे फाईनल हो चुका है। हम अपीलार्थी विवादी भूमि में से कुछ भूमि अपने जरूरत जायज के दिगर दिगर लोगों को वजरिये रजिस्ट्री केवाला से बिक्री भी किया है जिस पर खरीददार लोग दखल कार वो हकदार चले आ रहे हैं।

यह कि जिस कदर विवादी खेसरा की भूमि भूअर्जन विभाग के द्वारा अर्जित की गई उसका मुआवजा अपीलार्थीगण के पिता एवं पूर्वज के नाम से दिया गया।

यह कि इस प्रकार विवादी भूमि खतियानी रैयत के वारसान के द्वारा ही पूर्व में ही बिक्री अपीलार्थीगण के पूर्वज को किया जा चुका है। अतएव उपरोक्त एराजी पर रेसपोण्डेन्ट का कुछ भी दावा नहीं बनता है।

अपीलार्थी इस अपील वाद में निम्नलिखित आधार पर अनुतोष चाहते हैः–

अध्ययन हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वारा दाखिल लिखित जवाब में कहा गया है कि–

रेसपोण्डेन्ट प्रथम पक्ष के भूमि विवाद संख्याः– 172/11 में वर्णित कुल कथन भूमि विवाद अधिनियमः– 2009–2010 के अंतर्गत दर्ज किया अपील वाद बिल्कुल गलत, निराधार एवं खिलाफ असलियत के है। रेस्पोंडेन्ट प्रथम पक्ष अत्यंत गरीब पिछड़ी जाती तॉती (शर्मा) वर्ग से गुजर–बसर अपने नाना–नानी विद्या तॉती पिताः– रामधन तांती वो विदरा तांती पिताः– रामटहल को वर्षः 1941–1942 के रिर्टन एवं पुराना खतियान केवाला से कुल जमीन रामटहल वो ज्ञानचन्द पिता राधे तांती वो सुराक देवी पतिः मिश्री दास को करीबन 25 बीघा 10 कट्ठा 19 धुर जमीन प्राप्त है, जिसका रेन्ट रसीद बोल बिहार सरकार को वर्ष 2010 से 2011 तक का नाना सिधी तांती वो वीदो तांती पिताः– रामटहल तांती गुरधन पिताः– मुनी तांती के नाम से फिलहाल तक दखल–कब्जा, जोत– आबाद में चला आ रहा है जिसका खाता पुरानाः– 7, 3, 13, 1, 94, 6 खाता नयाः– 4, 13, 251, 35 खेसरा पुरानाः– 105, 130, 131, 133, 136, 141, 142, 149, 156, 182, 233, 240, 248, 249 वगैरह का मूल कागजात मौजाः– पिपरा, थानाः– बनगॉव , थाना नंः 167 तौजी नंः– 4223 जिलाः– सहरसा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष दर्ज हुआ जिसका आदेश पारित तिथिः– 31.01.2012 में निर्णय सही है।

रेसपोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष नं०–2 से 9 ने अपीलार्थी नंः 1 से 5 का खास निजी मेली–सरोकारी व्यक्तिगण है जो उक्त अपील वाद में रेसपोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को डालमा में लाकर रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष नंः 2 से 9 को पक्षकार बनाया गया है वो सरासर गलत, झुठा, मनगढंत पक्षकार बनाया गया है, जबकि भूमि विवाद संख्याः–172/011 में रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष नंः 2 से 9 ने रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष का पक्षकार विपक्षीगण हैं कि जान बुझकर अवैध ढंग से पक्षकार विपक्षीगण को रेस्पोण्डेन्ट उक्त अपील वाद में बनाया गया है। सरासर जाली–फरेबी सूदभरना दस्तावेज के सबूत पर बनाया गया है।

उक्त भूमि विवाद अपील वाद के रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष ने अपने नाना–नानी के खास मरोसी केवाला, पुराना खतियान के आधार पर दखलकार, दखल दिलानी अधिकार वाद संख्याः–218/2004 श्रीमान अवर न्यायाधीश, सहरसा के न्यायालय में लंबित चला आ रहा है कि अधिकार वाद सब जज प्रथम के न्यायालय में चल रहा था कि अधिकार वाद के प्रतिवादीगण द्वारा जब जमीन पर से बेदखल करने का प्रयास करने लगा तो उक्त वाद के रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष रामोतार शर्मा ने कईक आवेदन पत्र वरीय पदाधिकारी एवं माननीय मुख्य मंत्री, बिहार, पटना को आवेदन पत्र दिया गया कि मेरे जमीन जो नाना–नानी द्वारा प्राप्त है को विपक्षीगण आवेदन पत्र पत्रांकः 745/011 बेदखल करने पर तत्पर है तो उक्त आवेदन पत्र पर भूमि विवाद वाद संख्याः 172/011 रामोतार शर्मा आवेदक बनाम इन्द्रानन्द सिंह वगैरह विपक्षीगण के मुकदमा में आवेदक को आदेश मिला कि विपक्षीगण जब तक अधिकार वाद संख्याः 218/04 में आदेश पारित नहीं हो जाता है, तब तक आवेदक को जमीन पर से बेदखल का मामला नहीं कर सकते हैं। फिर भी दिनांक 31.01.12 आवेदक को जब निर्णय मिला तो उस दिन से विपक्षीगण वगैरह अपने को बहुसंख्यक समझकर उक्त अपील वाद आवेदक को निम्न समझकर (रेस्पोण्डेन्ट) को तंग तबाही, षडयंत्र रचकर भिन्न–भिन्न तरह की प्रतारणा घटना जमीन पर से बेदखल करने की बार–बार रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष जाति तांती के साथ किया जा रहा है वो झूठ–झूठ का बतौर भूमि विवाद अपील वाद अपीलार्थी द्वारा किया गया है जबकि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर सहरसा का निर्णय अधिकार वाद संख्या 218/2004 में मान्य आदेश ही मान्य होगा की आदेश हुआ है कि उक्त जमीन पर विपक्षीगण के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, सहरसा के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर 107 दं० प्र० सं० की कार्यवाही की गई है, जो अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर सहरसा के न्यायालय में चल रही है।

रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को अपनी माता के नाम से भूमि स्वामित्व एवं मूल्यांकन प्रमाण–पत्र वंशवृक्ष के आधार पर बना हुआ है जिसका वंशवृक्ष के

आधार पर बना हुआ है, जो भूमि विवाद संख्याः– 172/011 में दर्ज है वो उक्त अपील वाद के कंडिका 1, 2, 3 में दर्ज पारा 3 रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष का सही वो सत्य है। वो पारा 4 के कंडिका 4, 5, 6 रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष के विरूद्ध है वो पारा 5 के कंडिका 7 में दोनों अधिकार वाद का जिक्र किया गया है सिर्फ एक ही अधिकार वाद 218/04 से रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को हकीयत अधिकार है। जिसमें विवादित जमीन दर्ज है कि अधिकार वाद संख्याः 206/04 से रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को कोई सरोकार नहीं है और न ही हो सकता है।

पारा 5 के कंडिका नं० 8 में वर्णित कथन जाली फरेबी वो कंडिका 9 में वर्णित कथने भी पारा 6, 7 में गलत वो मनगढंत काबिल खारीज के है वो पारा–8 के कंडिका–15 में अपील वाद दाखिल सुनवाई की काबिल खारिज के हैं।

महत्वपूर्ण आधार में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धाराः–4 (5) में रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में अपीलार्थी दस्तनदाजी नहीं करें अधिकार वाद में आवेदक को सही निर्णय प्रतिक्षा अवधि में दिया गया है। वो पाराः 9, 10, 11 में आदेश पारिया किया गया है सही और सत्य है। अपीलार्थी का काबिल खारिज के है।

रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष को कुछ जमीन भू–अर्जन केश नं०: 29/1973–74 में महत्वपूर्ण आधार लघु नहर परियोजना में भू–अर्जन किया गया एवार्ड खतियान से एवार्ड नं०– 8, 10, 24, 31, 52, 53 को अर्जन कर जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा भुगतान किया गया सही है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि सिविल कोर्ट में अधिकार वाद संख्या 218/2004 चल रहा है, वैसी स्थिति में सिविल कोर्ट द्वारा ही न्याय निर्णय पारित कर इस मामले को निस्तार किया जा सकता है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/2/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

9/2/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा